भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3331

23 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत धनराशि

3331. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि के अंतर्गत प्राप्त संपूर्ण राशि का उपयोग किया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्रमशः प्राप्त और व्यय की गई कुल धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राजस्थान के लिए किए गए व्यय की तुलना में राज्य से प्राप्त कुछ धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सीएसआर कार्यकलापों के माध्यम से स्थानीय संस्थाओं, ग्रामीण विद्यालयों और अस्पतालों के विकास पर भी जोर दे रही है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विकास कार्यों पर व्यय की गई धनराशि सहित क्षेत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ङ): निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न कंपनियाँ धनराशि का आवंटन और उपयोग समय-समय पर यथा-संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत सरकार द्वारा तैयार व्यापक रूपरेखा के अनुसार करती हैं। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा-विनिर्दिष्ट थ्रेशहोल्ड सीमाओं को पार करने वाली कंपनियों को ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम-से-कम 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करना होगा। कंपनी के बोर्ड को कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की आयोजना, निर्णय, निष्पादन और निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में उन गतिविधियों को निर्दिष्ट किया जाता है, जिनका कंपनी द्वारा कार्यान्वयन किया जा सकता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास परियोजनाएं आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 135(5) के पहले परंतुक में प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्रों और अपने प्रचालन के आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। सीएसआर के तहत राज्य सरकारों से कोई निधि प्राप्त नहीं होती है।

विगत तीन वर्षों यानि 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों में मुख्य सीएसआर गतिविधियों के लिए सीएसआर राशि और किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

[दिनांक 23.03.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3331 के भाग (क) से (ङ) का उत्तर]

विगत 3 वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों में मुख्य सीएसआर गतिविधियों के लिए सीएसआर राशि और किए गए वास्तविक व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा

सीपीएसई का नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम और की गई सीएसआर गतिविधियाँ	(लाख रुपये में)					
		2018-19		2019-20		2020-21	
		सीएसआर राशि	व्यय	सीएसआर राशि	व्यय	सीएसआर राशि	व्यय
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल)	सेल ने शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिक को सहायता, खेल-कूद कोचिंग को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास, पारंपरिक कला और संस्कृति, जल सुविधाओं तक पहुंच और स्वच्छता, पर्यावरण स्थिरता आपदा राहत इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियाँ चलाई हैं। सीएसआर गतिविधियाँ मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल, हरियाणा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में की गई हैं।	3000	3118	3300	2756	5000	4718
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	आरआईएनएल ने स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छ भारत, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल,	1190	1030	1010	796	1075	1011

	पर्यावरण तथा स्वच्छ गंगा, खेल-कूद, ग्रामीण विकास, मलिन बस्ती क्षेत्र का विकास, सर्वेक्षण/मूल्यांकन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां की हैं। सीएसआर गतिविधियों को मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, हरियाणा, ओडिशा और केरल राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में किया गया है।						
एनएमडीसी लिमिटेड	एनएमडीसी ने पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण, आधारभूत संरचना, संस्कृति और विरासत, बाढ़ राहत / प्राकृतिक आपदा, पोषण, कौशल विकास, आय सृजन, खेल को बढ़ावा देने, आदि जैसी सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दिया है। सीएसआर गतिविधियों को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में किया गया है।	20000	16724	20000	19999	16450	15862
मॉयल लिमिटेड	मॉयल ने शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति और खेल-कूद, पर्यावरणीय संधारणीयता कौशल विकास, प्रशिक्षु प्रशिक्षण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां की हैं। सीएसआर गतिविधियां मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और	925	929	1250	1274	1250	1318

	तेलंगाना राज्यों में की गई हैं।						
एमएसटीसी लिमिटेड	एमएसटीसी ने शिक्षा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका सृजन, महिला सशक्तिकरण, पेयजल, सफाई, खेल-कूद, कला और संस्कृति, बाढ़ राहत, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संधारणीयता, जनजातीय कल्याण और कौशल विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां की हैं। सीएसआर गतिविधियां मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों में की गई हैं।	200	200	शून्य	54	शून्य	शून्य
केआईओसीएल लिमिटेड	केआईओसीएल ने सफाई तथा पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल-कूद प्रोत्साहन, बाढ़ राहत, स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन कोविड-19 राहत आदि क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियाँ की हैं। सीएसआर गतिविधियाँ मुख्य रूप से कर्नाटक, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में की गई हैं।	40	33	208	331	872	885
मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन ने पोषण, सफाई, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास तथा आजीविका, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, दिव्यांग हेतु परियोजनाएं आदि जैसी सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दिया है। सीएसआर गतिविधियों को मुख्य रूप से झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में किया गया है।	544	17	547	330	311	45